



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19112020-223186
CG-DL-E-19112020-223186

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3637]
No. 3637]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 18, 2020/कार्तिक 27, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 18, 2020/KARTIKA 27, 1942

आयुष मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2020

का.आ. 4138(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की दूसरी अनुसूची में, “आयुर्वेद और सिद्ध” से संबंधित भाग 1 में, “पंजाब” शीर्षक के अधीन, क्रम संख्या 88ड. और उससे संबंधित प्रविष्टियों के सामने, स्तंभ 5 में आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एवं सर्जरी) के संबंध में, पंक्ति 1 में, विद्यमान प्रविष्टियों के नीचे, निम्नलिखित प्रविष्टियों अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“ग. 30 दिसंबर, 2019 से आगे, केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित महाविद्यालय को प्रवेश देने के लिए अनुज्ञा प्रदान करने के अधीन रहते हुए, अर्थात्:—

श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक कालेज एंड डाबर धन्वंतरी अस्पताल, प्लॉट सं० एम-688, सेक्टर 46बी, चंडीगढ़- 160017”।

[फा. सं. जेड- 11020/3/2020-ईपी-1]

पी. एन. रणजीत कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की दूसरी अनुसूची को अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4068(अ) तारीख 30 नवंबर, 1979 द्वारा पहली बार संशोधित किया गया था और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4074(अ), तारीख 11 नवंबर, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF AYUSH**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th November, 2020

S.O. 4138(E).— In exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 14 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government, after consulting the Central Council of Indian Medicine, hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely:-

In the Indian Medicine Central Council Act, 1970, in the Second Schedule, In Part-I relating to “Ayurveda and Siddha”, under the heading “Punjab”, against serial number 88E and the entries relating thereto, the following entries in row one in respect of Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery) in column 5 shall be inserted below the existing entries, namely:-

“C. From 30th December, 2019 onwards subject to permission granted for admission by the Central Government to the following college, namely:-

Shri Dhanwantry Ayurvedic College and Dabur Dhanwantry Hospital, Plot No.-M-688, Sector 46-B, Chandigarh-160017”.

[F. No. Z-11020/3/2020-EP-1]

P. N. RANJIT KUMAR, Jt. Secy.

Note : The Second Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) was first amended *vide* notification number S.O. 4068 (E), dated the 30th November, 1979 and was last amended *vide* notification number S.O. 4074 (E), dated the 11th November, 2020.